तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नं0 व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	दीदार खां बनाम लो.सू.अ.(उपखण्ड अधिकारी लूणी) सू.अ.अ. अपील संख्या 214 / 2020	
03.12.20	अपीलार्थी दीदार खां पुत्र चांद खां जी, पता मु0पो0 झंवर, तहसील लूणी जिला जोधपुर ने सूचना का अधिकार के तहत प्रार्थना–पत्र दिनांक 29.09..20 में उसके द्वारा (1) दिनांक 20.01.20 को ग्राम पंचायत झंवर के पंचायत चुनाव के वोटर लिस्ट में वार्ड–1 से वार्ड 13 तक नामावली में नियमानुसार नाम जोड़ने बाबत् आवेदन [illegible] की कार्यवाही, से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना [illegible] उपखण्ड अधिकारी लूणी) को प्रेषित किया गया [illegible] द्वारा द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे [illegible] हुई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो.पक्ष (उपखण्ड अधि[illegible]री लूणी) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई। अपीलार्थी अनुपस्थित। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। लो.सू.अ..(उपखण्ड अधिकारी लूणी.) से आदिनांक रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई अतः अपील स्वीकार की जाती है तथा लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी लूणी) को निर्देशित किया जाता है कि प्रार्थी को 15 दिवस में सूचना उपलब्ध करावे, अन्यथा सूचना नहीं दिये जाने के कारणों से प्रार्थी को अवगत कराया जाय। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया।	

Signature Not Verified
Digitally signed by Anop Singh Inda
Date: 2021.01.29 14:54:20 IST
Reason: SelfAttested